

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 60/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री कालूसिंह पिता मदनसिंह शक्तावत बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं
निवासी बन का खेडा तहसील कोटडी तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा
जिला भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 29.08.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 19.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 926339 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 22.05.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.05.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी से प्रत्युत्तर चाहा गया। अपीलार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटडी ने उनके पत्र क्रमांक /विविध/2018/238 दिनांक 02.06.2018 से तहसीलदार कोटडी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी द्वारा अपीलान्त के आवेदन दिनांक 22.05.2018 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्त को समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उल्लंघना की गई है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक से 15 दिवस में अपीलान्त को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। इसी आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
भीलवाडा